न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 139/2022

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान प्रार्थीगण – 1. अहमद 2.हबीब पि. अब्दुला 3.अब्दुला पुत्र साजन 4.मीर मोहम्मद 5.इमाम पि.साजन 6.सरियत पत्नि साजन 7.सबोज 8.दरियाखान 9.आरब 10.ईशाक पि.अरादीन 11.खतीजो पत्नि अरादीन 12.सकूर पुत्र मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी गोलियार (भादूपुरा), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.अमीर 2.अयूब 3.अमर 4.नजीर पि.मारू 5.जीया के का.मु. :– 5/1. अलाना 5/2.मुबीन 5/3.हमजा 5/4.साघी पि.जीया 5/5.रूकाई बेवा जीया 6.अली मोहम्मद के का.मु. :– 6/1.एला 6/2.सरीफ 7.खालका 8.भाईखान 9.मिश्री 10.हादी पि.जानी 11.आलू 12.मठार 13.मोलिणा 14.सुहाणा पि.जूमा 15.करीमखान 16.पांधीखान 17.बरकतखां 18.शौकतअली पि. मुराद 19.जमीला पत्नि मुराद मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी गोलियार (भादुपुरा), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर 20.तहसीलदार चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थीगण – **श्री बलवंतसिंह चौधरी**
विप्रार्थीगण – **श्री हुकमसिंह गोदारा**

निर्णय

दिनांक :– 30.05.2024

प्रार्थीगण के आवेदन का सा[illegible] संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा गोलियार वर्तमान ग्राम भादुपुरा में [illegible] 100/71 रकबा 25.7865 हैक्टयर (159.06 बीघा) का आया हुआ है। [illegible] खसरा स. [illegible] रकबा 343.11 बीघा वक्त सेटलमेन्ट प्रार्थीगण के पूर्व पुरूष अब्दुला व उसमान [illegible] के नाम पर्चा लगान [illegible] किया गया, परन्तु उक्त रकबा 343.11 बीघा में प्रार्थीगण के पूर्व पु[illegible] का 159.06 बीघा [illegible]र ही कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.06.12 20:35:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

काश्त था, परन्तु सेटलमेन्ट टीम की गलती से सम्पूर्ण रकबा प्रार्थीगण के पूर्व पुरूष अब्दुला व उसमान पि.बचाया के नाम कर देने से वर्ष 1962 में विप्रार्थीगण सं. 1 से 19 के पूर्व पुरूष एलियास के पुत्रों जानी, जुमा, मारू, अलीमोहम्मद व जीया द्वारा अपने हिस्सा की जमीन 184.05 बीघा अपने नाम से खातेदारी में घोषित करवाने का वाद 332/1962 श्रीमान सहायक कलक्टर (एसडीओ) के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त वाद में दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हुआ तथा वाद पत्र के सलंग्न नक्शा में दर्शित बरंग लाल की भूमि रकबा 184.05 बीघा विप्रार्थीगण सं. 1 से 19 के पूर्व पुरूष एलियास से पांचों पुत्रों की तथा बरंग पीला रंग की भूमि रकबा 159.06 बीघा प्रार्थीगण के पूर्व पुरूष अब्दुला व उस्मान पुत्र बचाया की दर्शित की हुई थी, उसी अनुसार पक्षकार का कब्जा काश्त होने से श्रीमान सहायक कलक्टर एसडीओ बाड़मेर द्वारा दिनांक 19.09.63 को निर्णय पारित कर खातेदारी घोषणा की डिक्री जारी की तथा उसके साथ ही अनसूची ए के तहत राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने की डिक्री पारित की गई।

उक्त निर्णय व डिक्री की अनुपालना में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 60 ग्राम गोलियार दायर किया गया। जिसमें लिपीकी तुष्टि कारित करते हुए प्रार्थीगण की भूमि विप्रार्थी सं. 1 से 19 की भूमि के दोनों तरफ अवस्थित थी परन्तु हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड में ली तो रकबा 159.06 बीघा प्रार्थीगण के पूर्व समय अब्दुला व उसमान पि. बचाया के नाम दर्ज कर दिया गया तथा लट्ठा ट्रेस, नक्शा में तरमीम नहीं की जिससे प्रार्थीगण के पूर्व पुरूष अब्दुला व उसमान पि. बचाया का रकबा श्रीमान सहायक कलक्टर एसडीओ बाड़मेर के निर्णय व डिक्री अनुसार मौके पर लटठा ट्रेस नक्शा में पूरा नहीं हो पाया। उक्त त्रुटि को प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड एवं श्रीमान सहायक कलक्टर एसडीओ बाड़मेर के निर्णय व डिक्री के अनुरूप तरमीम शुद्ध करवाने के अधिकारी है।

उक्त निर्णय व डिक्री के पश्चात उपखण्ड अधिकारी एसडीओ चौहटन द्वारा दिनांक 08.11.2010 को उसमान पुत्र बचाया का 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण के पूर्व पुरूष अब्दुला के खातेदारी में घोषित करते हुए राजस्व रेकर्ड में अमल दराम करने का निर्णय व डिक्री पारित की थी जिसकी अनुपालना में हल्का पटवारी द्वा[illegible]तरकरण सं. 42 ग्राम भादुपुरा के खेत खसरा सं. 100/71 रकबा 159.06 [illegible] पुरूष अब्दुला के चारों पुत्रों के नाम अमल दरामद किया गया उस समय भी हल्का [illegible] द्वारा पूर्व की तुष्टि को सुधार नहीं किया गया, जिससे उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान [illegible] प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.06.12 20:35:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

राजस्व वाद सं. 332/1962 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.09.63 के साथ सलग्न अनुसूची ए के अनुसार राजस्व रेकर्ड व लट्ठा नक्शा में तरमीम दुरस्त करवाने के प्रार्थीगण वैध अधिकारी है।

हल्का पटवारी द्वारा राजस्व सं. 332/1962 निर्णय व डिक्री के संबंध में नामान्तरकरण सं. 60 मौजा गोलियार पारित करते समय प्रार्थीगण की भूमि जो वास्तव में एलियास के पुत्रों के नाम बरंग लाल से दर्शित भूमि के दोनों तरफ थी परन्तु एक ही चक के रूप में दर्शा एक ही खसरा कायम किया गया और उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद होने से निर्णय डिक्री व कब्जा काश्त की स्थिति व राजस्व रेकर्ड, लट्ठा नक्शे में भिन्नता आ गई, जिस राजस्व रेकर्ड में खसरा सं. 100/71 व 101/71 में की तरमीम पक्षकारों के कब्जा काश्त अनुसार लट्ठा ट्रेस नक्शा में दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। इस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादग्रस्त आराजी के संबध में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया । विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं 1 से 5/3, 5/5 से 13, 16, 18, 19 की ओर से अधिवक्ता श्री हुकमसिंह गोदारा ने वकालतनामा पेश किया । शेष विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली पेश हुई। विप्रार्थी वकील की ओर से ब्रिफ होल्डर अधिवक्ता उपस्थित हुए और जवाब का अवसर चाहा, इस पर प्रार्थीगण वकील ने एतराज करते हुए निवेदन किया कि जबसे आवेदन पेश हुआ है तब से विप्रार्थीगण की ओर ब्रिफ होल्डर अधिवक्ता उपस्थित हो कर बार बार जवाब का अवसर चाह कर आवेदन को बेवजह लम्बित करना चाहते है। अतः जवाब का अवसर बन्द किया जाकर बहस सुनी जावे।

विप्रार्थी के जवाब का अवसर बन्द किया गया । विप्रार्थी वकील बहस नहीं कर जवाब का अवसर चाहते है। अतः वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार से जो तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.06.12 20:35:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

उन्हें स्वीकार है उसी अनुसार आवेदन का निस्तारण किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।।

वकील प्रार्थीगण द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये :–

1. RRD 2009 पेज सं. 456
2. 2024(1)DNJ [Rev.] पेज सं. 61

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की मौका फर्द का अवलोकन किया गया जिसमें ग्राम भादूपुरा के खसरा सं. 100/71 व 101/71 की तरमीम फर्द में सलंग्न नक्शा के परिशिष्ट ''ए'' अनुसार दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया।

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन के मौजा भादुपरा के खसरा सं. 100/71 व 101/71 की तरमीम तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा के परिशिष्ट ''ए'' अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.06.12 20:35:57 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट "ए"

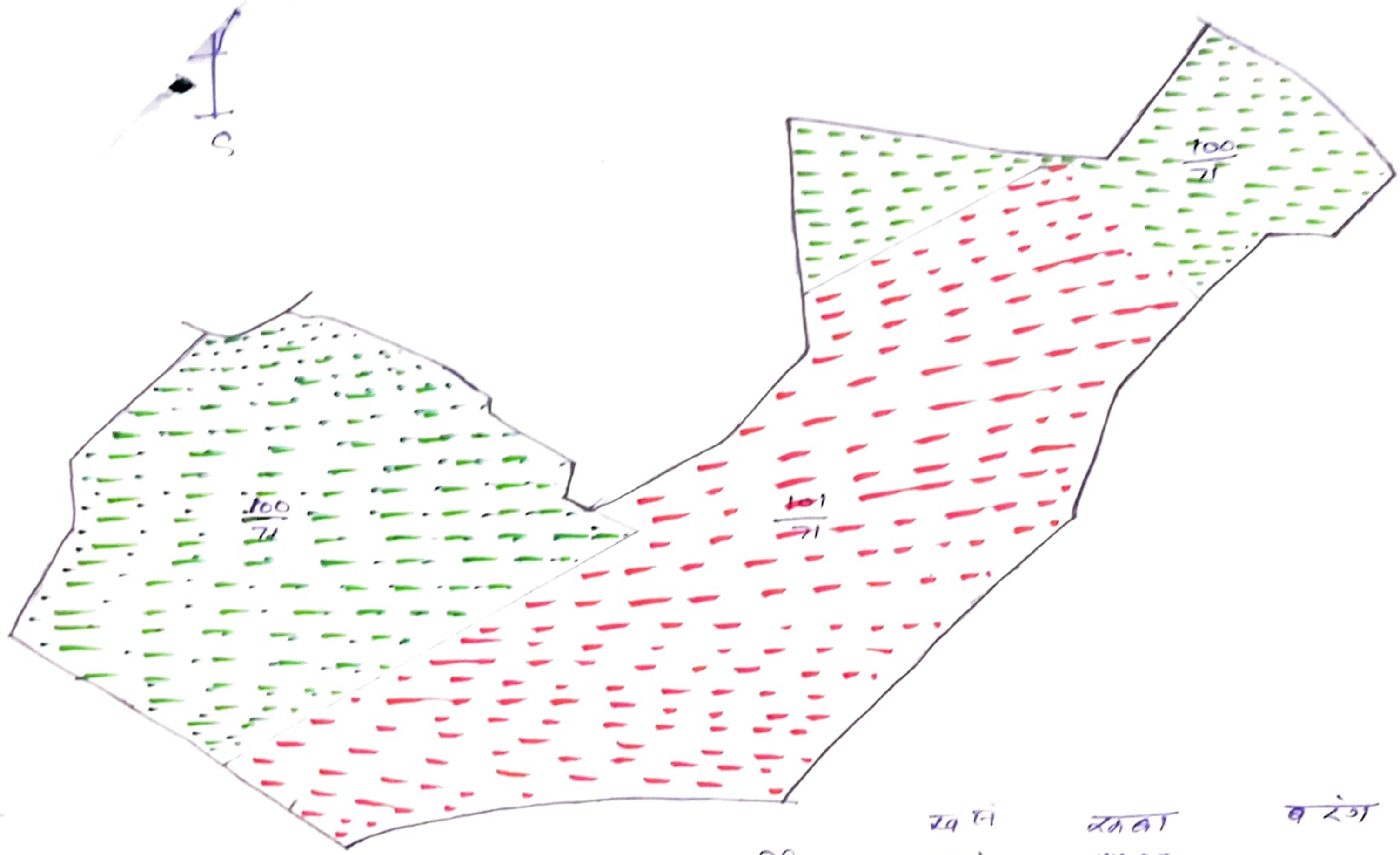

	ख० नं	रकबा	व रंग	
(1) प्राथमिकता	100/71	114.00	हरा	
	100/71	45.06		
	02	159.06		
(2) निष्प्राथमिकता	101/71	1184.05	लाल	

Ex-Count

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

10/12/2022
ILR चौहटन

CS

जमीन वली

पट हलाके

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.06.12 20:35:57 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार चौहटन